

**Ophthalmic Centres**

**4054. Shri R. S. Tiwary:  
Shri Vishwa Nath Pandey:**

Will the Minister for Health and Family Planning be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering to set up Dr. Rajendra Prasad Ophthalmic Centres at many places in the country;

(b) if so, when and at which places; and

(c) the total amount likely to be incurred thereon?

**The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar):** (a) Yes, Sir. There is a proposal to set up 7 Dr. Rajendra Prasad Centres for Ophthalmic Sciences in the Country.

(b) These are proposed to be started during the Fourth Plan. The Centres are proposed to be established, one each in the following States:

- (i) Delhi (All India Institute of Medical Sciences, New Delhi).
- (ii) West Bengal.
- (iii) Madras.
- (iv) Mysore.
- (v) Maharashtra.
- (vi) Uttar Pradesh.
- (vii) Andhra Pradesh.

(c) It is estimated that a total expenditure of Rs. 1.50 crores will be involved in the establishment of 7 Centres.

**मंत्रालयों में पार्लियामेंटरी  
असिस्टेंट**

**4055. श्री विश्राम प्रसाद :  
श्री हुकूम चन्द कछवाय :  
श्री रामसेवक यादव :  
श्री यशपाल सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कितने पार्लियामेंटरी असिस्टेंट हैं ;

(ख) क्या उनके वेतन के अतिरिक्त उन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता (मासिक अथवा दैनिक) भी दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो यह भत्ता किस काम के लिये दिया जाता है ;

(घ) क्या पहले उन्हें कोई विशेष भत्ता नहीं दिया जा रहा था ; और

(ङ) यदि हां, तो यह नया भत्ता मंजूर किये जाने के क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्री ( श्री जवाहर चौधरी ):**

(क) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही मदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ख) और (ग). जी हां । संसदीय सहायकों के रूप में काम करने वालों को निम्नलिखित दरों पर विशेष भत्ता दिया जाता है :

सहायक जो 500 रुपये से कम वेतन पाते हैं	4 रुपये रोज
उच्च श्रेणी निपिक	3 रुपये रोज

यह भत्ता केवल उन कर्मचारियों को मिलता है जो पूरे समय के लिए संसदीय काम करते हैं । और यह भत्ता संसद के सत्र की अवधि के लिए तथा प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने से पहले के एक सप्ताह की अवधि के लिए दिया जाता है ।

(घ) 30-5-61 तक, संसदीय सहायकों को तीन रुपये रोज के हिसाब से रात में काम करने का भत्ता दिया जाता था । 1-6-1961 से उन्हें दफ्तर के कर्मचारियों पर लागू होने वाली अधिक समय काम करने के लिए भत्ते की योजना में शामिल कर लिया गया था । इससे कई प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा हुईं इसलिए 3-2-1964